महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए सामान्य नियम

महाविद्यालय को जिस यश का अर्जन हुआ है, उसका मूल कारण विद्यार्थियों को सदाचार उत्तम परीक्षाफल तथा अधिक अंकों का प्राप्त करना ळै। विद्यार्थियों की सहायता एवं मार्गदर्शन हेतु महाविद्यालय द्वारा निम्नलिखित नियम स्वीकार किये गये हैं।

1. विद्यार्थी अपनी साईकिल, मोटर साईकिल इत्यादि महाविद्यालय में बने वाहन स्थल पर समुचित रुप में रखें।
2. महाविद्यालय परिसर में पान, तम्बाकू आदि का सेवन एवं धुम्रमान वर्जित है।
3. महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को हानि पहुँचाना, दीवारों आदि पर लिखना वर्जित है।
4. महाविद्यालय परिसर में साईकिल चलाना,बरामदे में कुर्सियाँ निकालकर बैठना सर्वथा वर्जित है।
5. अनुशासन एवं व्यवस्था से सम्बन्धित विषयों के पालन हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।

महाविद्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था

महाविद्यालय की गुणवत्ता बनाये रखने व प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिये निम्नलिखित स्तर पर प्रशासनिक ब्यवस्था की गयी है जिससे कि कोई छात्र/छात्रा या अन्य कोई अपरिचित व्यक्ति महाविद्यालय में किसी भी प्रकार का अप्रिय व्यवहार न कर सके।

1. श्री अमर नाथ पाल – मुख्य शास्ता
2. डॉ0 अरविन्द कुमार – सहायक शास्ता
3. श्री एम0एल0 पटेल – सहायक अनुशास्ता

महाविद्यालय का भवन एवं साज–सज्जा

समन्वय उक्त महाविद्यालय द्वारा शैक्षिक एवम् प्रशासनिक कार्यों के सम्पादनार्थ 30 कमरों की महाविद्यालय संस्थापक द्वारा सुसज्जित रुप में की गयी है।

परीक्षा फार्म

महाविद्यालय में प्रवेश पाये सभी छात्रों से अपेक्षा है कि वह पूर्ण जिम्मेदारी के साथ विश्वविद्यालय फार्म को ऑनलाइन कराकर समस्त प्रमाण–पत्रों सहित महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करें। अन्यथा की दशा में परीक्षा से वंचित हो जायेगें जिसके जिम्मेदार छात्र/छात्रा स्वयं होंगे।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय का पुस्तकालय सुसम्पन्न एवं विषयों से सम्बन्धित उपयोगी पुस्तकों से परिपूर्ण है, एवं वाचनालय में अनेक प्रकार के दैनिक समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं उपलब्ध रहते हैं।

उपस्थिति

सत्र में प्रत्येक विषय में दिये गये व्याख्यानों में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, जो विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार प्रत्येक छात्र/छात्रा को स्वीकार करना होगा अन्यथा की दशा में प्रत्येक छात्र व छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगें।